



दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि सफदरजंग एन्कलेव में प्लॉट नंबर बी-7/34, एक्सटेंशन का मूल रिकॉर्ड गायब है। श्रीमती देवी@देवी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री खूब चंद ने इस भूखंड पर दावा किया है।

श्रीमती देवी@देवी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री खूब चंद ने लीज डीड के बिना लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन के लिए आवेदन किया है और बताया है कि प्लॉट की लीज डीड डीडीए द्वारा निष्पादित नहीं की गई है।

परिवर्तन की अनुमति देने से पहले सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती देवी@देवी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री खूब चंद के पक्ष में उक्त संपत्ति के परिवर्तन के प्रति कोई आपत्ति है, तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर स्वामित्व आदि के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उप निदेशक, एलए (आवासीय), दिल्ली विकास प्राधिकरण, ब्लॉक सी-II, तीसरी मंजिल, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली - 110023 के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप में दर्ज कर सकता है। इसके बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और आगे कोई नोटिस दिए बिना डीडीए द्वारा परिवर्तन की अनुमति दे दी जाएगी।

उपरोक्त सार्वजनिक सूचना WP(C) 9051/2022 शीर्षक श्रीमती देवी@देवी बाई बनाम डी.डी.ए. के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार है।